



सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,

3030 बच्चे के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, निशातगंज, लखनऊ - 226 007

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक

सर्व शिक्षा अभियान

निशातगंज, लखनऊ

सेवा में,

1- प्राचार्य

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

समस्त जनपद, 3030

2- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

समस्त जनपद, 3030

पत्रांक: मदरसा निर्देश/1843/2011-12 दिनांक: 26 जुलाई, 2011

विषय:- वर्ष 2011-12 में मान्यता प्राप्त मदरसा केन्द्रों के सुदृढीकरण सम्बन्धी निर्देश।

महोदय/महोदया,

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अरबी फारसी मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों हेतु मदरसा सुदृढीकरण की योजना विगत वर्षों से लागू है। यह कार्यक्रम मान्यता प्राप्त प्राइमरी स्तर के चयनित मदरसों में अधिकतम 25 बच्चों के लिए संचालित किया जायेगा जो आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से अपनी कक्षा के स्तर से काफी कमजोर हैं।

सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2011-12 की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो गई है। मदरसा केन्द्रों के सुदृढीकरण (पूर्व से सुदृढीकृत एवं नवीन मदरसों) का जनपदवार स्वीकृत लक्ष्य एवं उसके सापेक्ष बजट संलग्न कर प्रेषित है- (संलग्न-1)

मदरसा केन्द्रों के सुदृढीकरण सम्बन्धी निर्देश निम्नवत हैं:-

- मदरसा सुदृढीकरण योजना केवल प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए अनुमन्य है।
- उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत स्टेट अरबी फारसी मदरसा बोर्ड 3030 से मान्यता प्राप्त मदरसों में सुदृढीकरण की व्यवस्था लागू की जाये।

- सम्बन्धित मदरसा की प्रबन्ध समिति से सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही सुदृढीकरण की कार्यवाही की जाये।
- मदरसा की प्रबन्ध समिति द्वारा ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अर्ह व्यक्ति का चयन अनुदेशक/ शिक्षक के रूप में कराया जाय।
- अनुदेशक/ शिक्षक की न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल एवं न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। इस हेतु यथासम्भव स्थानीय व्यक्ति का चयन किया जाये।
- मदरसा सुदृढीकरण योजनावर्गत नामांकित बच्चों को पाठ्यपुस्तकें एवं कार्यपुस्तिकायें निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेंगी।
- केन्द्र तथा बच्चों को दी जाने वाली सामग्री की सूची संलग्न है। (संलग्न-2) उक्त सामग्री का कय, ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड शिक्षा समिति द्वारा कराया जायेगा तथा सम्बन्धित मदरसे को उपलब्ध करायी जायेगी। केन्द्र एवं बच्चों को दी जाने वाली सामग्री जैसे पेन्सिल, रबर, कटर, कापियां, कलर आदि ब्राण्डेड कम्पनी की कय करके वितरित करायी जाये। केन्द्र में घटिया सामग्री पाये जाने की दशा में सम्बन्धित प्रधानाध्यापक (सदस्य सचिव, ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड शिक्षा समिति) के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
- केन्द्र संचालन की समयावधि एवं स्थल के पते की सूचना प्रत्येक दशा में केन्द्र स्थल पर अवश्य अंकित की जाये।
- केन्द्र संचालन सम्बन्धी प्रचार-प्रसार व्यापक रूप से कराया जायेगा। प्रचार-प्रसार न पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं नगर शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- प्रत्येक बी0आर0सी0 पर ऐसे अनुदानित एवं गैर अनुदानित मान्यता प्राप्त मदरसों की सूची अवश्य उपलब्ध हो, जो सर्व शिक्षा अभियान की इस योजना से आच्छादित हैं।
- मदरसे में संचालित केन्द्र की अवधि 10 माह होगी, अतः मदरसों का संचालन, अनुदेशकों का प्रशिक्षण एवं धनराशि का हस्तान्तरण अदिलम्ब कर लिया जाये। तत्पश्चात मदरसे में नामांकित बच्चों की दक्षता का आंकलन करते हुए बच्चों को उक्त मदरसे में या आवश्यकतानुसार अन्य विद्यालयों में मुख्यधारा में जोड़ा जाय।

मदरसों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण

- मदरसों के नवनियुक्त अनुदेशकों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में कराया जाये।
- पुराने मदरसों के अनुदेशकों का 05 दिवसीय पुनर्बोधार्थक प्रशिक्षण डायट में कराया जाये।
- मदरसों के चयनित अनुदेशक/शिक्षक के प्रशिक्षण हेतु सूची, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित डायट को उपलब्ध करायी जायेगी।
- डायट द्वारा पूर्व में शिक्षामित्र/आचार्यों के आधारभूत एवं पुनर्बोधार्थक प्रशिक्षण माइयूल से नवीन मदरसों के अनुदेशकों को 10 दिवसीय तथा पूर्व से संचालित मदरसों के

अनुदेशकों को 05 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाये। इस हेतु आवासीय प्रशिक्षण हेतु रुपये 200/- प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से अनुमन्य है। प्रत्येक अनुदेशक को प्रशिक्षण अवधि में न्यूनतम रुपये 400/- (चार सौ रुपये मात्र) की शिक्षण सामग्री जैसे-कैची, स्केल, पेंसिल, कटर, रबड़, स्केचपेन, हाईलाइटर, गोंद, चार्टपेपर, सादापेपर, पोस्टरकलर, सेलोटैप, क्लिप, दपती, थर्माकोल, आदि)की बैग सहित एक किट तैयार कर प्रत्येक अनुदेशक को उपलब्ध करायी जाये जिससे वे इस सामग्री के माध्यम से टी0 एल0 एम0 निर्मित करें तथा परिक्षणोपरांत केन्द्र में नामांकित बच्चों को प्रभावी ढंग से शिक्षण प्रदान कर सकें।

- प्रशिक्षण माइयूल को 10 दिन एवं 05 दिन की समय सारिणी के अनुसार संक्षेपीकरण करते हुए अनुदेशक को उसकी फोटोकॉपी अवश्य उपलब्ध करायी जाये।
- प्रशिक्षण अवधि में समय-समय पर अनुश्रवणकर्ताओं द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। अतः जब भी प्रशिक्षण रखा जाये, प्राचार्य डायट का दायित्व है कि प्रशिक्षण अवधि से राज्य परियोजना कार्यालय को अवश्य अवगत कराया जाय।
- निरीक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अनुश्रवण हेतु लक्ष्यों का नियंत्रण।

क्र.सं.	अनुश्रवण कर्ता	लक्ष्य	समीक्षा बैठक
1	निकटतम विद्यालय का प्र0अ0	प्रत्येक केन्द्र सप्ताह में एक बार	ए0बी0एस0ए0/न0शि0अ0 माह में एक बार अपने क्षेत्र के समस्त अनुदेशकों एवं सम्बन्धित प्र0अ0 एवं एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों की संयुक्त बैठक अवश्य करेंगे
2	एन0पी0आर0सी0 समन्वयक	प्रत्येक केन्द्र सप्ताह में एक बार	
3	सहा0 बे0 शि0 अधिकारी/न0शि0अ0	प्रत्येक केन्द्र 15 दिन में एक बार	
4	जिला समन्वयक वैकल्पिक शिक्षा	प्रत्येक माह में न्यूनतम 10 केन्द्र	अनुश्रवण कर्ताओं द्वारा किये गये निरीक्षणों की समीक्षा जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक 15 दिन में एक बार अवश्य की जाये।
5	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	माह में न्यूनतम 05 केन्द्र	
6	डायट मेन्टर एवं अन्य फैकल्टी	माह में न्यूनतम 05 केन्द्र	

- निरीक्षणकर्ता द्वारा निरीक्षण के समय केन्द्र, केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चों तथा उनके द्वारा सम्पादित की जाने वाली गतिविधियों की फोटोग्राफी की जाये एवं निरीक्षण आख्या के साथ उक्त फोटो ग्राफ भी संलग्न किया जाये। मदरसा केन्द्रों के निरीक्षण हेतु प्रपत्र संलग्न है। (संलग्नक प्रपत्र- 3)
- जिला समन्वयक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षणों की निरीक्षण आख्या प्रति माह 5 तारीख तक राज्य परियोजना कार्यालय एवं साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करायी जाये।

निर्देश की प्रति सम्बन्धित बी०आर०सी०/विद्यालयों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाये।

कृपया उक्तवत कार्यवाही करते हुए लक्ष्य के सापेक्ष सभी केन्द्रों का सुदृढीकरण/संचालन अविलम्ब किया जाना सुनिश्चित करें। बजट आवंटन की जनपदवार सूची संलग्न है।
संलग्नक-उक्तवत्।

भवदीय,



(के०राम मोहन राव)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ.संख्या- मदरसा निर्देश/ 187/1842 2011-12 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, साक्षरता, वैकल्पिक शिक्षा, उर्दू एवं प्राच्य भाषाएं, उ.प्र., लखनऊ।
2. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, लखनऊ
3. निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, उ०प्र०, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद।
5. रजिस्ट्रार, अरबी फारसी मदरसा बोर्ड, उ०प्र०, लखनऊ।
6. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बिसिक), समस्त मण्डल, उ.प्र.।
7. जिला समन्वयक (वैकल्पिक शिक्षा), समस्त जनपद, उ.प्र.।✓

25-7-11
(दिनेश बाबू शर्मा)

अपर परियोजना निदेशक

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2011-12 में स्वीकृत मदरसा केन्द्रों के सुदृढीकरण हेतु जिला परियोजना कार्यालय एवं डायट को प्रेषित की जाने वाली

धनराशि (धनराशि रु० लाख में)

क्र० सं०	जनपद	मदरसा (पूर्व से सुदृढीकृत)				मदरसा (नवीन)					
		2011-12 में पूर्व से सुदृढीकृत मदरसों हेतु स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत केन्द्र	डी०पी०ओ० हेतु प्रस्तावित धनराशि @ 30750/- प्रति केन्द्र	डायट हेतु प्रस्तावित धनराशि रु० @ 1000 प्रति केन्द्र	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2011-12 में नवीन मदरसों हेतु स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत केन्द्र	डी०पी०ओ० हेतु प्रस्तावित धनराशि @ 34150/- प्रति केन्द्र	डायट हेतु प्रस्तावित धनराशि रु० @ 2000 प्रति केन्द्र	डी०पी०ओ० को कुल प्रेषित की जाने वाली धनराशि (पूर्व से सुदृढीकृत + नवीन मदरसा हेतु) (कॉलम 5+9)	डायट को कुल प्रेषित की जाने वाली धनराशि (पूर्व से सुदृढीकृत + नवीन मदरसा हेतु) (कॉलम 6+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आगरा	0.00	0	0.00	0.00	0.73	2	0.68	0.04	0.68	0.04
2	अलीगढ़	3.82	12	3.69	0.12	3.99	11	3.78	0.22	7.48	0.34
3	इलाहाबाद	18.22	51	15.68	0.81	7.26	20	6.83	0.40	22.61	0.91
4	अम्बेडकरनगर	13.04	41	12.61	0.41	28.38	70	23.91	1.40	36.61	1.81
5	औरैया	1.91	6	1.85	0.06	0.36	1	0.34	0.02	2.19	0.08
6	आजमगढ़	1.91	6	1.85	0.06	0.36	1	0.34	0.02	2.19	0.08
7	बदायूँ	6.88	21	6.46	0.21	12.33	34	11.61	0.68	18.07	0.89
8	बागपत	0.00	0	0.00	0.00	0.36	1	0.34	0.02	0.34	0.02
9	बहराइच	21.31	67	20.60	0.67	10.51	29	9.90	0.58	30.61	1.25
10	बलिया	23.21	73	22.45	0.73	14.50	40	13.68	0.80	36.11	1.53
11	बलरामपुर	0.95	3	0.92	0.03	18.13	50	17.08	1.00	18.00	1.03
12	बाँदा	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
13	बाराबंकी	24.80	78	23.99	0.78	26.01	69	23.68	1.38	47.56	2.16
14	बरेली	14.96	47	14.45	0.47	14.14	39	13.32	0.78	27.77	1.25
15	बस्ती	7.95	25	7.69	0.25	0.00	0	0.00	0.00	7.69	0.25
16	मदौड़ी	6.72	18	5.54	0.18	1.45	4	1.37	0.08	6.90	0.28
17	बिजनौर	1.59	5	1.54	0.05	21.03	58	19.81	1.18	21.34	1.21
18	बुलन्दशहर	0.00	0	0.00	0.00	5.60	16	5.48	0.32	5.48	0.32
20	बन्दा	5.09	16	4.92	0.16	4.35	12	4.10	0.24	9.02	0.40
19	सी०पी०ओ० नगर	7.63	24	7.38	0.24	3.99	11	3.78	0.22	11.14	0.46
21	बिठूर	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
22	देवरिया	31.80	100	30.75	1.00	2.90	8	2.73	0.16	33.48	1.16
23	एटा	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
24	इटावा	2.88	9	2.77	0.09	0.36	1	0.34	0.02	3.11	0.11
25	फैजाबाद	8.90	28	8.61	0.28	10.88	30	10.26	0.60	18.86	0.88
26	फर्रुखाबाद	3.50	11	3.38	0.11	9.06	25	8.54	0.50	11.92	0.61
27	फतेहपुर	15.88	49	15.07	0.49	5.44	15	5.12	0.30	20.19	0.79
28	फिरोजाबाद	3.50	11	3.38	0.11	0.73	2	0.68	0.04	4.07	0.15
29	गौतमबुद्ध नगर	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
30	गाजियाबाद	10.81	34	10.46	0.34	9.06	25	8.54	0.50	18.99	0.84
31	गाजीपुर	38.16	120	36.90	1.20	1.45	4	1.37	0.08	38.27	1.28
32	गोण्डा	2.23	7	2.15	0.07	41.69	115	39.27	2.30	41.43	2.37
33	गोरखपुर	12.72	40	12.30	0.40	35.53	98	33.47	1.96	45.77	2.38
34	हमीरपुर	1.91	6	1.85	0.06	4.71	13	4.44	0.26	6.28	0.32
38	हरदोई	6.68	21	6.46	0.21	5.08	14	4.78	0.28	11.24	0.49
36	हाथरस	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
37	जालौन	5.09	16	4.92	0.16	1.81	5	1.71	0.10	6.63	0.26
38	जौनपुर	15.88	49	15.07	0.49	0.00	0	0.00	0.00	15.07	0.49
39	झाँसी	13.67	43	13.22	0.43	26.83	74	25.27	1.48	38.49	1.91
40	जे०पी०नगर	1.27	4	1.23	0.04	0.00	0	0.00	0.00	1.23	0.04
41	कन्नौज	6.72	18	5.54	0.18	2.54	7	2.39	0.14	7.93	0.32
42	कानपुर देहात	6.04	19	5.84	0.19	2.18	6	2.05	0.12	7.89	0.31
43	कानपुर नगर	4.48	14	4.31	0.14	11.24	31	10.59	0.62	14.89	0.76
44	काशीरामनगर	0.00	0	0.00	0.00	3.63	10	3.42	0.20	3.42	0.20
45	कौशांबी	11.77	37	11.38	0.37	1.81	5	1.71	0.10	13.09	0.47
46	कूशीनगर	10.81	34	10.46	0.34	36.25	100	34.15	2.00	44.61	2.34
47	लखीमपुर	21.31	67	20.60	0.67	18.13	50	17.08	1.00	37.68	1.67

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2011-12 में स्वीकृत मदरसा केन्द्रों के सुदृढीकरण हेतु जिला परियोजना कार्यालय एवं डायट को प्रेषित की जाने वाली धनराशि (धनराशि ₹0 लाख में)

क्र० सं०	जनपद	मदरसा (पूर्व से सुदृढीकृत)				मदरसा (नवीन)					
		2011-12 में पूर्व से सुदृढीकृत मदरसों हेतु स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत केन्द्र	डी०पी०ओ० हेतु प्रस्तावित धनराशि ₹ 30750/- प्रति केन्द्र	डायट हेतु प्रस्तावित धनराशि ₹ 1000 प्रति केन्द्र	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2011-12 में नवीन मदरसों हेतु स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत केन्द्र	डी०पी०ओ० हेतु प्रस्तावित धनराशि ₹ 34150/- प्रति केन्द्र	डायट हेतु प्रस्तावित धनराशि ₹ 2000 प्रति केन्द्र	डी०पी०ओ० को कुल प्रेषित की जाने वाली धनराशि (पूर्व से सुदृढीकृत + नवीन मदरसा हेतु) (कॉलम 5+8)	डायट को कुल प्रेषित की जाने वाली धनराशि (पूर्व से सुदृढीकृत + नवीन मदरसा हेतु) (कॉलम 6+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	ललितपुर	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
49	लखनऊ	12.08	38	11.69	0.38	20.30	56	19.12	1.12	30.81	1.50
50	महाराजगंज	7.96	25	7.69	0.26	18.13	50	17.08	1.00	24.76	1.28
51	महोबा	1.27	4	1.23	0.04	0.00	0	0.00	0.00	1.23	0.04
52	मैनपुरी	2.54	8	2.46	0.08	1.09	3	1.02	0.06	3.48	0.14
53	मधुरा	0.00	0	0.00	0.00	0.73	2	0.68	0.04	0.68	0.04
54	मऊ	12.72	40	12.30	0.40	12.69	35	11.95	0.70	24.26	1.10
55	मेरठ	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
56	मिर्जापुर	14.31	45	13.84	0.45	13.05	36	12.29	0.72	26.13	1.17
57	मुरादाबाद	2.23	7	2.15	0.07	1.09	3	1.02	0.06	3.18	0.13
58	मुजफ्फरनगर	3.18	10	3.08	0.10	3.63	10	3.42	0.20	6.49	0.30
59	पीलीभीत	9.54	30	9.23	0.30	18.49	51	17.42	1.02	26.64	1.32
60	प्रतापगढ़	8.27	26	8.00	0.26	1.81	5	1.71	0.10	9.70	0.36
61	रायबरेली	3.50	11	3.38	0.11	1.09	3	1.02	0.06	4.41	0.17
62	रामपुर	2.54	8	2.46	0.08	14.50	40	13.66	0.80	16.12	0.88
63	सहारनपुर	1.59	5	1.54	0.05	1.81	5	1.71	0.10	3.26	0.16
64	सन्तकबीरनगर	6.68	21	6.46	0.21	1.81	5	1.71	0.10	8.17	0.31
65	शाहजहांपुर	26.71	84	25.83	0.84	3.26	9	3.07	0.18	28.90	1.02
66	सिद्धार्थनगर	35.30	111	34.13	1.11	0.00	0	0.00	0.00	34.13	1.11
67	सीतापुर	43.88	138	42.44	1.38	15.23	42	14.34	0.84	56.78	2.22
68	सोनभद्र	3.82	12	3.69	0.12	1.45	4	1.37	0.08	5.06	0.20
69	श्रावस्ती	1.59	5	1.54	0.05	17.76	49	16.73	0.98	18.27	1.03
70	सुल्तानपुर	11.13	35	10.76	0.35	1.09	3	1.02	0.06	11.79	0.41
71	उन्नाव	28.30	89	27.37	0.89	9.43	26	8.88	0.52	36.25	1.41
72	वाराणसी	15.26	48	14.76	0.48	3.26	9	3.07	0.18	17.63	0.66
	योग	645.54	2030	624.23	20.30	562.60	1862	530.01	31.04	1154.23	51.34

मदरसों के बच्चों को दी जाने वाली शिक्षण सामग्री

क्रम सं०	मद	संख्या (प्रति छात्र)
1	कापियो (120 पेज)	12
2	पेन्सिल	12
3	रबर	05
4	कटर	02
5	केयान	01
6	स्केल (प्लास्टिक/लकड़ी) 12 इंच, चांदा, परकार	01
7	पेन (डॉट पेन)	02
8	आर्ट कॉपी	01
9	किताबें+कार्यपुस्तिका	01 सेट
10	स्कूल बैग	01
11	स्लेट एवं चाक	01 सेट
12	हिन्दी एवं अंग्रेजी एल्फाबेट	01 सेट
13	वर्णमाला चार्ट(हिन्दी, अंग्रेजी एवं गणित)	01 सेट
14	1-100 तक प्लास्टिक नम्बर	01 सेट

मदरसों हेतु उपकरण/सामग्री

क्रम सं०	सामग्री का नाम	संख्या
1	बॉक्स ताला सहित (3'x2'x2') 24 गेज	01
2	ब्लैक बोर्ड स्टैण्ड सहित	01
3	घटाई(6'x3')	10
4	बाल्टी ढक्कन सहित	01
5	डण्डी वाला लोटा	01
6	रिंग	04
7	कूदने वाली रस्सी	04
8	कैरम बोर्ड/फुटबॉल	01
9	चोंक	25 डिब्बे
10	चार्ट (मानचित्र, यथा राज्य, देश, संसार) वर्णमाला-हिन्दी, अंग्रेजी, पशु पक्षी, फल, पहाड़े आदि	08
11	रजिस्टर (2 क्वायर)	04
12	छात्र उपस्थिति पंजिका	01
13	गोंद	100 ग्राम

14	कागज	01 रिम
15	कैची	01
16	चार्ट पेपर	01
17	नेलकटर	02
18	साबुन (हाथ धोने वाला)	02
19	साबुन (कपड़े धोने वाला)	04
20	तौलिया	04
21	डस्टर	02
22	स्केल (प्लास्टिक/लकड़ी) 12 इंच, चांदा, परकार	01
23	स्कैच पेन	04 दर्जन
24	पेस्टल/वॉटर कलर	02 पैकेट
25	अबेकस छोटा	01
26	झाडू (सफाई हेतु)	01

नोट: केन्द्र बन्द होने पर सभी नॉन कनज्यूम्बिल सामग्री निकटतम परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में सूची बनाकर जमा की जायेगी। इसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/एन०पी०आर०सी०/बी०आर०सी०/यू०आर०सी० समन्वयक का होगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का निरीक्षण/अनुश्रवण प्रपत्र

- मदरसा का नाम व पता
- मदरसे के संचालन का समय
न्याय पंचायत/वार्ड
- मदरसे में सुदृढीकृत केन्द्र के संचालन का समय
विकास खण्ड
- केन्द्र से निकटतम प्राथमिक विद्यालय का नाम एवं दूरी
जनपद
- ग्राम/वार्ड शिक्षा समिति को धन अवमुक्त किये जाने की स्थिति
- ग्राम/वार्ड शिक्षा समिति के सदस्य- सचिव का नाम एवं मो0 न0
- केन्द्र प्रारम्भ होने की तिथि
संचालन समय
- निरीक्षण की तिथि
निरीक्षण का समय

बच्चों की उपस्थिति

कक्षा	मदरसा केन्द्र में नामांकित बच्चों की संख्या		सुदृढीकृत मदरसा केन्द्र में नामांकित बच्चों की संख्या		सुदृढीकृत मदरसा केन्द्र में उपस्थित बच्चों की संख्या	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1						
2						
3						
4						
5						
योग						

सुदृढीकृत मदरसा केन्द्र में नामांकित बच्चों का आयुवार विवरण

6 से 11 वर्ष के छात्र			6 वर्ष से कम आयु के बच्चे			11 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग

अनुदेशक का विवरण

अनुदेशक का नाम	डाइट 2011-12 (हां/नहीं)	द्वारा वर्ष प्रशिक्षित (हां/नहीं)	उपस्थिति (हां/नहीं)	मानदेय किस माह तक दिया गया।	मानदेय भुगतान (नकद / चेक)	यदि अद्यतन भुगतान नहीं तो कारण

सुदृढीकृत मदरसा केन्द्र में सामग्री उपलब्धता की स्थिति

क्र.सं.	सामग्री	वर्ष 2010-11 की अवशेष सामग्री	2011-12 में नवीन क्रय की गयी सामग्री	प्रयोग की स्थिति
1.	बैठने के लिए घटाई,			
2.	ब्लैक बोर्ड, स्केल, क्रेयान, वाटर/पोस्टर कलर स्केच पेन, कैंची, डस्टर, चाक			

3	जनपद, राज्य, देश, बारह खड़ी, वर्णमाला चार्ट			
4	नेलकटर, तौलिया, साबुन, बाल्टी, गिलास			
5	फुटबाल, रिंग, रस्सी कूदने की			
6	बच्चों के पास किताबें, वर्क बुक, कापी व स्टेशनरी			
7	छात्र उपस्थिति पंजिका, आगन्तुक पंजिका			

अधिगम सम्प्राप्ति की स्थिति

प्री टेस्ट की तिथि	प्री टेस्ट के अनुसार बच्चों की संख्या					निरीक्षण के समय अधिगम सम्प्राप्ति के अनुसार संख्या				
	कक्षा 1	कक्षा 2	कक्षा 3	कक्षा 4	कक्षा 5	कक्षा 1	कक्षा 2	कक्षा 3	कक्षा 4	कक्षा 5

केन्द्र पर भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता

शौचालय		हैण्डपम्प			केन्द्र पर स्वच्छता की स्थिति	केन्द्र का बोर्ड
हां/नहीं	यदि हां तो प्रयोग की स्थिति	हां/नहीं	यदि हां तो प्रयोग की स्थिति	यदि नहीं तो पेय जल की अन्य व्यवस्था	खराब/सामान्य/उत्कृष्ट	है/नहीं

केन्द्र पर शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता

माड्यूल		समय सारिणी		लर्निंग/रीडिंग कार्नेर		टी एल एम	
उपलब्धता	प्रयोग की स्थिति	उपलब्धता	प्रयोग की स्थिति	उपलब्धता	प्रयोग की स्थिति	उपलब्धता	प्रयोग की स्थिति
हां/नहीं		हां/नहीं		हां/नहीं		हां/नहीं	

शैक्षिक गतिविधियां

वर्क बुक की जांच एवं सुधार की स्थिति	गृह कार्य की जांच एवं सुधार की स्थिति	शिक्षण गतिविधियां						
		परम्परागत	खेल आधारित	कहानी/कविता	पियर गुप/बहु कक्षा शिक्षण	पाठ्यक्रम (साप्ताहिक/विभाजन) के अनुसार शिक्षण (हां/नहीं)	विभाजन मासिक शिक्षण	अन्य
हां/नहीं	हां/नहीं							

मध्याह्न भोजन की स्थिति

मिड डे मील वितरण की स्थिति		वितरण हेतु अद्यतन किये गये प्रयास	सुझाव यदि कोई हो
हां/नहीं	यदि नहीं तो कारण		

केन्द्रों पर किये गये निरीक्षण की स्थिति

गत माह तक	वर्तमान माह में निरीक्षण की संख्या

कुल निरीक्षण	NPRCC	BRCC	ABSA/NSA	MENTOR	D.C	Dy BSA	BSA	अन्य	योग

मुख्य धारा में शामिल किये गये बच्चों का विवरण:- केन्द्र एवं विद्यालय में मेनस्ट्रीमिंग के अभिलेख उपलब्ध होने की स्थिति:-

वर्ष	कक्षा 1		कक्षा 2		कक्षा 3		कक्षा 4		कक्षा 5		योग	
	बा०	बालि०	बा०	बालि०	बा०	बालि०	बा०	बालि०	बा०	बालि०	बा०	बालि०
09-10												
10-11												

बच्चों की प्रोफाइल बनाये जाने की स्थिति		माइग्रेशन कार्ड दिये जाने की स्थिति		ग्राम/ वार्ड शिक्षा समिति / मदरसा प्रबन्धक समिति द्वारा स्वयं के संसाधनों द्वारा दी गयी सामग्री		स्वास्थ्य परीक्षण की तिथियां
हां/ नहीं	कितने बच्चों की बनी है।	हां/नहीं	कितने बच्चों को दिये गये	केन्द्र को दी गयी सामग्री	बच्चों को दी गयी सामग्री	

निरीक्षण कर्ता द्वारा प्रधानाध्यापक/सचिव से की गयी वार्ता एवं गत निर्देशों के अनुपालन के मुख्य बिन्दु एवं केन्द्र के फोटोग्राफ संलग्न किये जाये।

दिनांक
नाम एवं पद

निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर